महाप्रबंधक

मेजर जनरल वाईपी खंडूरी को जून 1987 में जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री की 10वीं बटालियन में कमिशन दिया गया। बाद में उन्होंनेपश्चिमीछोर, 16वीं बटालियन,पर जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री और नियंत्रण रेखा परकमान संभाली।उन्होंने पश्चिमी मोर्चे पर एक इन्फैंट्री ब्रिगेड और इन्फैंट्री डिवीजन की भी कमान संभाली।

2. वह काउंटर इंसर्जेंसी (राष्ट्रीय राइफल्स) फोर्स में ऑपरेशनल स्टाफके तौर पर भी नियुक्त रहे और डेजर्ट सेक्टर में ऑपरेशनल लॉजिस्टिक स्टाफ के रूप में काम किया एवं जम्मू-कश्मीर में एक महत्वपूर्ण सैन्य छावनी के स्टेशन कमांडर रहे हैं।

3. उपरोक्त के अलावा वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और इन्फैंट्री स्कूल में प्रशिक्षक एवं सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत भारतीय दल का हिस्सा रहे हैं।

4. उन्होने इराक/कुवैत में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षकके रूप में एवं भारत के दूतावास, काबुल (अफगानिस्तान) में रक्षा अटेची के रूप में सेवा दी है।

महाप्रबंधक का संदेश

सीएसडी की स्थापना 1948 में की गई थी,प्रारम्भ में सौ के करीब यू आर सी (कैंटीन) थी।आज सीएसडी लगभग 1 करोड़ 35 लाख से अधिक सेवारतअधिकारी/कर्मचारी एवंपेंशनधारकतथा उनके परिवारों के लिएवस्तुओं का वितरण करता है।सीएसडी के लिए, 'उपभोक्ता सर्वोपरि है' इसलिए, सीएसडी इस मुख्य नीति का पालन करके यूआरसी से हर मांग को पूरा करने का प्रयास करता है और साथ ही यह सुनिश्चित करता हैं कि विक्रेताओं के हितों को केवल तब तक ही सम्मिलित किया जाय जब तक यह हमारे सैनिकों की आवश्यकता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।समय बदल रहा है और बढ़ते उपभोक्तावाद के साथ, एकल परिवार, मीडिया का प्रसार, इंटरनेट और मीडिया के लिए उत्तरदायी मोबाइल डिवाइस, व्यक्तिगत और घरेलू स्तर पर खर्चे बढ़े हैं।अबउपभोक्ता केवल कम मूल्य वाले वस्तुओं से संतुष्ट नहीं हैं,अपितु वे अब एक विशेष खरीदारी अनुभवके लिएइच्छुक हैं।

भविष्य उतकृष्टता के लिए बड़ी संभावना और डिजिटल प्रवेश, कई अवसरों के साथ-साथ कई चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है। अब बदलते भारत में बदलाव के साथ अगले दौर में अपनी क्षमताओं के बल पर हम सैनिक और उनके परिवारो के लिए अपने जनादेश एवं उनकी आकांछाओ को पूरा करने हेतु यहकार्य जारी रखेंगे।

जय हिन्द!

हमारे बारे में इतिहास

कैंटीन भंडारविभाग, जिसे आमतौर पर सीएसडी से संदर्भित किया जाता है, सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को 'दैनिक उपयोग के गुणवत्ता वाले उत्पादों कोबाजार दरों से कम कीमतों पर' प्रदान करने के लिए बनाया गया था।

आज, सेवा कर्मियों, उनके परिवारों की बढ़ती आकांक्षाओं और हमारे देश में जीवन स्तर में सुधार के कारण, सीएसडी जूता ब्रश से माइक्रोवेव ओवन और खाना पकाने के तेल से लेकर लक्जरी कारों तक गुणवत्ता वाले ब्रांडेड और गैर-ब्रांडेड उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदान करता है।1948 में (जब विभाग बनाया गया था) दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुओं के पोर्टफोलियो से लेकर यहआजकरीब चार हजार से अधिक उत्पादों तक बढ़ गया है।इन सभी उत्पादों और ब्रांडों की जानकारी कार्यालय वेब साइट पर उपभोक्ता के लाभ के लिए उपलब्ध है।

संगठन संरचना

भारत में कैंटीन सेवाओं का (संचालक मंडल) बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर कैंटीन सर्विस (बीओसीसीएस) है, जिसके अध्यक्ष माननीय रक्षा राज्य मंत्री (आरआरएम) हैं एवं इसके सदस्य रक्षा सचिव, सचिव रक्षा (वित्त), क्वार्टर मास्टर जनरल (क्यूएमजी), सीओपी (नवल मुख्यालय), एओए (वायुसेना मुख्यालय) हैं। बोर्ड को बीओसीसीएस की एक कार्यकारी समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जबकि सीएसडी के दिन–प्रतिदिन के प्रबंधन को महाप्रबंधक सीएसडी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो बोर्ड ऑफ एड्मिनिसट्रेशन के पदेन अध्यक्ष होते हैं। महाप्रबंधक को दो संयुक्त महाप्रबंधकों, सात उप महाप्रबंधकों, 18 सहायक महाप्रबंधकों, 5प्रादेशिक प्रबंधकों और 34क्षेत्रिय (डिपो) प्रबंधकों और अन्य अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

सी एस डी के उद्देश्य

सीएसडी ने अन्य श्रृंखलाओं की तरह अपने संचालन के सभी पहलुओं में सर्वोत्तम व्यापार प्रथाओं को अपनाया है, लेकिन जो बात विभाग को किसी भी और सभी ऐसी श्रृंखलाओं से अलग करती है वह यह है कि यह लाभ के उद्देश्य से संचालित नहीं की जाती है!

सीएसडी संचालन

सीएसडी का व्यापारिक संचालन सात बुनियादी उत्पाद समूहों के आसपास काम करता है।

समूह I - प्रसाधन सामग्री

समूह II - घरेलू आवश्यकताएँ

समूह III - सामान्य उपयोग की वस्तुएं

समूह IV - घड़ियाँ और स्टेशनरी

ग्रुप वी – मदिरा

समूह VI - खाद्य और औषधीय वस्तुएं

ग्रुप VII - 4 व्हीलर, टू व्हीलर और व्हाइट गुड्स।

ये सभी उत्पाद यूआरसी से मांग के आधार पर खरीदे जाते हैं, समूह VII के उत्पादों को यूआरसी में संग्रहीत नहीं किया जा सकता है और न ही उन्हें जमा किया जा सकता है! इस कारण से, सीएसडी इन वस्तुओं को व्यापारिक रूप से अंतिम उपयोगकर्ता "अगेंस्ट फर्म डिमांड" (एएफडी) की ओर से खरीदता है।

<u>आपूर्तिकर्ताओं</u>

विभाग यूआरसीएवं चुनिंदा ट्रेड आउटलेट्स ("एएफडी" के मामले में) पर देखे जाने वाले उत्पादों की श्रृंखला की आपूर्ति के लिए देश भर में 500 से अधिक आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलकर काम करता है। उनका प्रतिनिधित्व प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बड़ी भारतीय कंपनियों और पूर्व सैनिकों के स्टार्ट–अप सहित कई छोटे निर्माताओं द्वारा किया जाता है।

उपभोक्ताओं हेतु सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने हेतु आपूर्तिकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है।

<u>सम्मानित लाभार्थी और व्यापार भागीदारकृपया ध्यान दें।</u>

यह हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ तृतीय पक्ष, विभाग में विभिन्न कार्यों को सुगम बनाने के लिए स्वयं को एजेंट और बिचौलियों के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।ऐसे अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा सीएसडी केहितधारकों को गुमराह करने के लिए सीएसडी और एएफडी पोर्टल की कुछ फर्जी वेबसाइटें बनाई गई हैं।यह स्पष्ट किया जाता है कि कैंटीन भंडार विभाग, रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक संगठन है।हम एजेंटों/बिचौलियों और/या उनके प्रतिनिधियों के साथ किसी भी तरह का व्यवहार नहीं करते हैं।यदि सी एस डी द्वारा किसी भी फर्म द्वारा ऐसे अनधिकृत व्यक्तियोंकी सेवाओं का उपयोग करते पाया जाता हैं, तो उनके उत्पादों का विलोपन किया जा सकता है और संभावित ब्लैकलिस्टिंगभी की जा सकती है।सभी लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानी बरतें और हमारी आधिकारिक वेबसाइट www.csdindia.gov.inपर जाकर AFD पोर्टल में लॉग इन करें।